भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES

निगरानी 1320-PBR-15 (104)

समक्ष अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

राजस्व प्रकरण क्र.- /2015

1. शिवप्रसाद आत्मज श्री मान सिंह
   आयु लगभग 50 वर्ष
2. बसंत पुत्र शिवप्रसाद आयु लगभग 30 वर्ष
   दोनों निवासी-ग्राम रायपुर, तहसील हुजूर
   जिला भोपाल म.प्र. ---- आवेदकगण

विरूद्ध

आजाद सिंह आत्मज मनीराम
आयु वयस्क निवासी- ग्राम रायपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल ---- अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतगर्त धारा 50 सहपठित धारा 32म.प्र.भू.रा.सं.1959

आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रं. 48/अ-12/14-15 पक्षकार आजाद सिंह विरूद्ध सर्वसाधारण में पारित आदेश दिनांक 20.05.2015 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हैः-

श्री एम.एल. रघुवंशी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 27-5-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत 27-5-15 30-5-15

निगरानी के तथ्य

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार हे कि अनावेदक के द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ख. नं. 448/2 रकवा 0.809 हे. ख.नं. 463/1 रकवा 0.295 हेक्टेयर ख.नं. 444/2/1 रकवा 0.052 हेक्टेयर स्थित ग्राम रायपुर प.ह.नं. 11 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन कराने बावत् राजस्व निरीक्षक मंडल ईटखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन के आधार पर रा.नि.मं. ईटखेडी जिला भोपाल के द्वारा आवेदन स्वीकार करते हये सीमांकन करने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1320-PBR/15 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-05-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 15-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	